न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व वाद संख्या 19/2019

———

भगवान दास व अन्य बनाम सरकार व अन्य

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 92 (ए) राज0 कास्त0 अधि01955 में

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 15

आदेश दिनांक 11.12.2019

वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88, 92(क) राज0 कास्त0 अधि0 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण को पक्षकार मुर्तिब कर प्रस्तुत किया। प्रतिवादी 15 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठीत धारा 151 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी अभिभाषक द्वारा प्रति दिनांक 12.04.2019 को प्राप्त की । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया ।

प्रतिवादीगण के अभिभाषक के द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना व लिखित बहस प्रतिवादी/अप्रार्थी 15 थोक तेलियान भूमि खसरा संख्या 1227, 1228, 1229, 1230 एवं 1231 का खातेदार एम मालिक है एवं उक्त भूमि पर प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 15 का आवासीय व्यवसायिक परिसर निर्मित है एवं जिसके फलस्वरूप प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा गृहकर आदि राशि नगर निगम अजमेरमें विधिवत रूप से जमा करवा रहा है इस कारण से उक्त भूमि वर्तमान में कृषि प्रयोजनार्थ आरक्ष्ज्ञित न होकर व्यवसायिक एवं आवासीय प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है एवं भूमि खसरा संख्या 1227 जिसका वाद में उल्लेख किया गया है वह राजस्व रिकार्ड में बतौर आबादी दर्ज है। भूमि खसरा संख्या 1227, 1228, 1229, 1230 एवं 1231 के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 04 (1) के तहत अधिसूचना दिनांक 02.03.2010 को आनासागर झील के सरंक्षक हेतु अवाप्ति हेतु अधिसूचना हुई थी जिसका प्रकाशसन किया गया था एवं इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 6 के तहत घोषणा जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 11.6.2012 को किया जाकर दैनिक अखबारो में भी प्रकाशन किया गया था एवं दिनांक

Scanned by CamScanner

10.10.2014 को उक्त भूमि का अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 को उक्त भूमि का अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 11 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाकर उक्त भूमि को अवाप्त किया जा रहा है एवं प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा उक्त अवाप्ति की कार्यवाही के विरूद्व एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11904/2014 माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिस परमाननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2016 को स्थगन आदेश पारित किया गया था एवं यथा स्थिति कायम रखे जाने के निर्देश पक्षकारो को प्रदान किये गये थे । प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के तहत लम्बित है इस कारण से माननीय न्यायालय को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नही है एवं प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 15 के अलावा भूमि खसरा संख्या 1227, 1228, 1229, 1230 उपं 1231 के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवाप्ति को लेकर प्रस्तुत नही की गयी है एवं उक्त भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के तहत अवाप्तिधीन होने से न्यायालय श्रीमान को किसी प्रकार का श्रवणाधिकार प्राप्त नही है क्योकि भूमि के खातेदारी अधिकारो को लेकर प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 15 का सरकार से किसी प्रकारका कोई विवाद नही है। प्रतिवादी/अप्रार्थी 15 से सम्बन्धित भूमि खसरा संख्या 1227, 1228, 1229, 1230 एवं 1231 न तो पूर्व में एवं न ही वर्तमान में जलमग्न है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते है क्योकि वादीगण स्वयं भूमि का जलमग्न बता रहे है एवं भूमि खसरा नम्बर 1227, 1228, 1229, 1230 एवं 1231 अवाप्त भी की जा चुकी है, एवं मुआवजा राशि भी घोषित कर दी गई है इस कारण से भूमि खसरा संख्या 1227, 1228, 1229, 1230 एवं 1231 से सबन्धित किसी प्रकार का वाद पोषणीय नही है। वादीगण द्वारा अधिकाश भूमि की किस्म आबी उल्लेखित की गई है जिससे स्पष्ट है कि वह जलस्त्रोत का हिस्सा है एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओ मोटो बनाम राजसीान सरकार में पारित निर्णय के अनुसार उक्त भूमि पर अगर किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार भी दर्ज कर दिये गये है तो उन्हे भी रेफरेन्स करके निरस्त किया जावे एवं इस प्रकार की कार्यवाही नही की जाती है तो यह भी माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना होगी । प्रकरण भूमि अवाप्ति से सम्बन्धित होने के कारण माननीय न्यायालय कोउक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नही है एवं उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है । वर्ष 2018 में Rajasthan Lakes (Protection and Development Authoriyy) Act 2015 राजस्थान में लागु हो चुका है एवं उक्त अधिनियम के लागु होने के उपरान्त वादीगण के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके है एवं उक्त अधिनियम के तहत आनासागर झील की सीमा तय की जा चुकी है जिसकी अधिसूचना दिनांक 30.10.2017को जारी की जा चुकी है जिसे वादीगण द्वारा कही पर भी चुनौति नही दी गयी है एवं उक्त अधिनियम की धारा 03 एवं 04 के तहत सम्पूर्ण झील में आने वाली समस्त भूमि राज्य सरकार में निहित हो चुकी है एवं वादीगण यदि कोई मुआवजा चाहता है तो उक्त अधिनियम

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

की धारा 06 के तहत उन्हे कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पडेगा परन्तु उक्त प्रकरण में वादीगण द्वारा उक्त अधिनियम के तहत किसी प्रकार की मुआवजा राशि की मांग नही की जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज फरमावे ।

वादीगण के अभिभाषक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम थोक तेलियान स्थित भूमि खसरा नम्बर 1228, 1229, 1230, 1231 का प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 15 राजसिह पुत्र श्री चांदमल खातेदार है जिस पर उसका आवासीय व्यवसायिक परिसर निर्मित है एवं गृहकर जमा करवा रहा है। उक्त भूमि वादग्रस्त आराजीयात नही है अर्थात प्रस्तुत वाद पत्र में उपरोक्त वर्णित आराजीयात शामिल नही है एवं आबादी भूमि बाबत उक्त वाद पत्र में कोई दादरसी नही मांगी गई है। बल्कि मात्र पक्षकारान की खातेदारी में दर्ज होकर कृषि आराजीयात बाबत ही उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं वाद में भी खसरा नम्बर 1227 रकबा 0–3–0 बीघा के समक्ष स्वयं वादीगण द्वारा आबादी अंकित किया गया है तथा कृषि के अतिरिक्त किस्म की आराजीयात बाबत माननीय न्यायालय में सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी निहित नही होने से मात्र कृषि के अतिरिक्त किस्म की आराजीयात बाबत माननीय न्यायालय में सुनवाई का क्षेत्राधिकर भी निहित नही होने से मात्र कृषि भूमियों की हद तक ही वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे उक्त वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित की श्रेणी में नही आने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. काबिल निरस्त योग्य है। प्रार्थी श्री राजजिस द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत माननीय उच्च न्यायालय के समख प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 1190/2014 में दिनांक 28.11.2016 को यथा स्थिति बनाये रखने बाबत स्थगन आदेश जारी किया जाना अंकित किया गया है लेकिन उक्त थनगन आदेश वाद वर्णित आराजीयात पर जारी नही किया गया है क्योकि पैरा में अंकित आराजीयात वाद पत्र की विषय वस्तु नही है। यदि विषय वस्तु होती तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश वाद वर्णित आराजीयात पर भी लागू होता जिससे वादीगण को वाद प्रस्तुती की आवश्यकता ही नही रहती । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती से अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से मात्र यह जाहिर करना प्रकट होता है कि खसरा नम्बर 1228, 1229, 1230 एवं 1231 स्थित ग्राम ाीक तेलियान अप्रार्थी संख्या 15 की मिलकियत की भूमियां है जो वाद पत्र की विषय वस्तु नही है एवं इस सबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचाराधीन है। वही पर अप्रार्थी संख्या 15 दादरसी प्राप्त कर सकता है। उक्त आराजीयात उक्त वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि नही होने से प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाना स्वयं सिद्व होकर काबिल निरस्त योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात की

आज दिनांक अवाप्ति नही हुई है ना ही खातेदारान को मुआवजा प्रदान किया गया है ना ही खातेदारान से कब्जा प्राप्त किया गया है एवं अधिकार अीलेख में भी पक्षकारान के नाम ही अधिकाश भूमिया बहैसियत खातेदार प्रविष्टिया दर्ज है एवं अवाप्ति कथन नोटिस जारी करने के अतिरिक्त विगत 20 वर्षो से अग्रिम कोई कार्यवाही नही हुई है। खाता संख्या 334 की आराजीयात अवाप्ति अधिनियम के तहत सम्पूण्र कार्यवाही किए बिना अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित कर दी गई है जिसके द्वारा मत्स्य पालन, नौकायन तथा रेस्टोरेन्ट का ठेका नगर निगम द्वारा प्रदान कर दिया गया है। अतः दोनो को पक्षकार मुर्तिब कर दिया गया है। इसी कारण खाता संख्या 334 की भूमि को वाद पत्र में शाामिल नही किया गया है लेकिन पक्षकारान की आराजीयात जो खाता संख्या 334 के अतिरिक्त वाद पत्र में अंकित है प्रशासन द्वारा आस पास की कॉलोनियो के ड्रेनेज का पानी आनासागर में समाहित करने के कारण जलमग्न हो चुकी है जिस पर अजमेर विकास प्राधिकरण व नगर निगम मत्सय पालन, नौकायन एवं रेस्टोरेन्ट का ठेका प्रदान कर भंयकर आर्थिक आमदनी प्राप्त कर रहा है एवं खातेदारान ना तो कृषि कार्य कर पा रहे है एवं ना ही भूमि अवाप्त की जाकर खातेदारान को मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। इसी कारण दिनांक 16.1.2019 को माननीय राजय सरकार को पत्र प्रेषित करने के बावजूद कोई कार्यवाही नही होने के कारण वाद कारण उत्पन्न होने से वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। स्वयं खातेदारान द्वारा माननीय मुख्तमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर को दिनांक 16.1.2019 को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि अवाप्त की जाकर खातेदारान को मुआवजा प्रदान कर दिया जावे तो भी राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक कोई कार्यवाही नही की गई। अर्थात राज्य सरकार खातेदारान के कहने पर भूमि अवाप्त नही कर रही है और अप्रार्थी संख्या 15 राज्य सरकार के विपरित कथन अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आज भी वाद वर्णित आराजियात खातेदारान के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। यदि अवाप्ति कार्यवाही पूर्ण हो जाती तो खातेदारान का नाम रिकार्ड से तर्क फरमा दिया जाता । इसलिए उक्त वाद पत्र वास्ते जारी फरमाने स्थाई निषेघाज्ञज्ञ प्रस्तुत किया गया है। जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चे के खारिज फरमावे।

उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया । वादीगण द्वारावाद पत्र में विवादित भूमि के सन्दर्भ में अनुतोष में यह कथन किया कि विवादित भूमि आनासागर झील में अवस्थित होकर विगत 10–12 वर्षो से जलमग्न आराजीयात है। यह भी अनुतोष चाहा गया कि उक्त आराजियात अब सदा सर्वदा के लिए जलमग्न रहेगी ऐसी सिीति में वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को जब तक नियमानुसार मुआवजा

Scanned by CamScanner

राशि का भुगतान नही किया जाता है तब तक राज्य सरकार एवं प्रशासन को टापू पर मुर्तिब रेस्टोरेन्ट नोकायन, मत्स्य पालन इत्यादि से प्रशासन एवं राज्य सरकार के विभागो को होने वाली आय को जलमग्न भूमि के खातेदारान को हिस्से अनुसार आनुपातिक रूप से प्रदान किया जावे। इस सबंध में स्थाई निषेघाज्ञज्ञ का भी अनुतोष चाहा । यह भी चाहा कि विवादित आराजीयात आनासागर झील में जलमग्न होने के कारण कृषि कार्यवाही नही कर पा रहे । इस कारण वादीगण को अपूणीय क्षति कारित हो रही है। उपरोक्त अनुतोष किस सबंध में इस न्यायालय के समक्ष वाद बाबत स्थाई निषेंघाज्ञा विरूद्व राजस्थान सरकार, नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, मत्स्य विभाग प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादित भूमिया आनासागर झील हेतु जलमग्न है। वादीगण विवादित भूमि जलमग्न होने के कारण मुआवजे का अनुतोष की मांग कर रहे है। मुआवजा एवं भूमि अवाप्ति के सबंध में जब तक राज्य सरकार द्वारा अधिकारी नियुक्त नही कर दिये जाते है एवं जब तक भूमि विधिवत अवाप्त नही हो जाती तब तक मुआवजे दिवाने का इस न्यायालय का श्रवणाधिकार नही है। मुआवजे के सबंध में चाराजोही सक्षम न्यायालय के समक्ष की जा सकती है। इस कारण वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी 15 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. में स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.13 11:59:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: